18

गार्ड

समाहरणालय,मधेपुरा।
(सामान्य शाखा)
आदेश

सरकार के प्रधान सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 13 दिनांक– 21/01/2016 से वित्तीय बर्ष 2015– 16 में गैर योजना के मांग संख्याँ–22, मुख्य शीर्ष– 2055–पुलिस,उप मुख्य शीर्ष–00,लधु शीर्ष–110–ग्राम पुलिस,उप शीर्ष– 0001–के बिषय शीर्ष 13 06– वर्दी/पोशाक मद में मधेपुरा जिला हेतु प्राप्त आवंटन– मो0–12,33,000/–(बारह लाख तैतीस हजार) रू0 को निम्नप्रकार अंचल अधिकारियों को अंचलवार उपावंटित किया जाता है।

कमांक	अंचल का नाम	कार्यरत बल	वर्दी /पोशाक मद में उपावंटित राशि
1	मधेपुरा	67	2,01,000.00
2	धैलाढ़	20	60,000.00
3	गम्हरिया	27	81,000.00
4	सिंहेश्वर	18	54,000.00
5	शंकरपुर	10	30,000.00
6	कुमारखंड	46	1,38,000.00
7	मुरलीगंज	42	1,26,000.00
8	उदाकिशुनगंज	36	1,08,000.00
9	ग्वालपाड़ा	24	72,000.00
10	बिहारीगंज	37	1,11,000.00
11	पुरैनी	27	81,000.00
12	चौसा	31	93,000.00
13	आलमनगर	26	78,000.00
	कुल–	**411**	**12,33,000.00**

गृह (आरक्षी) विभाग,बिहार,पटना के संकल्प ज्ञापांक–484 दिनांक–21/01/2015 के आलोक में उक्त राशि से चौकीदार/दफादार को रू0–3,000/–(तीन हजार) प्रति कर्मी की दर से उनके वेतनादि भुगतान से सम्बद्ध बैंक खाते में भुगतान किया जाय।

उपावंटन की शर्त्ते–

(1) यह राशि गैर योजना मुख्य शीर्ष 2055–पुलिस– उप मुख्य शीर्ष–00–लधु शीर्ष–110–ग्राम पुलिस– उप शीर्ष–0001–चौकीदार – दफादार स्थापना अंतर्गत वेतनादि भुगतान हेतु विभिन्न शीर्षो एवं (विपत्र कोड–एन 205500110000१,मांग संख्याँ–22) के अंतर्गत विकलनीय होगा।

(2) उपर्युक्त राशि से बकाये वेतनादि का भुगतान किया जा सकता है। यदि चौकीदार–दफादार के बकाये बेतनादि से सम्बंधित माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश हो तो उक्त राशि का भुगतान इस उपावंटित राशि से किया जाय और तत्पश्चात् अतिरिक्त राशि की मांग की जाय।

(3) यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्याँ–2561 दिनांक–17/04/1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।वित्त विभाग के परिपत्र संख्याँ–5294 दिनांक–17/06/2015 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजनान्तर्गत सभी व्यय के लिए विभागीय पत्रांक–2561 दिनांक–17/04/1998 की कंडिका–दो में प्रावधानित बंधेज को पूर्णरूपेण शिथिल किया गया है। इसके फलस्वरूप आवंटित राशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

(4) किसी भी परिस्थिति में उपावंटित राशि का विचलन कर किसी अन्य मद में खर्च नहीं किया जाएगा अन्यथा इसकी सारी जबाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(5) उपावंटित राशि का प्रत्यार्पण प्रतिवेदन दिनांक-25 मार्च,2016 तक बिना चूक के उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(6) उपर्युक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित प्रपत्र पर की जाय, विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को सलंग्न किया जाय तथा कार्यालय में निकासी एवं व्यय पंजी का संधारण किया जाय।

(7) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जानेवाले प्रमाण पत्र का उल्लेख अवश्य किया जाय।

(8) डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र तीन माह के अंदर समर्पित किया जाय।

(9) कार्यालय में निकासी एवं व्यय पंजी का संधारण किया जाय।

इसकी सूचना सम्बंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक- 519 /सा0,मधेपुरा दिनांक- 19 मार्च,2016

प्रतिलिपि- सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को (आवंटन पत्र की प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा(आवंटन पत्र की छायाप्रति सलंग्न) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,मधेपुरा को सूचनार्थ। अनुरोध है कि इसे जिला के वेवसाईट पर अपलोड कर दिया जाय एवं सभी सम्बंधितों को ईमेल कर दी जाय।

प्रतिलिपि- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-सरकार के प्रधान सचिव, गृह(आरक्षी) विभाग, बिहार पटना/आयुक्त,कोशी प्रमंडल,सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

18/3/16

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

पत्र संख्या–6 / व०गै०यो०–01–32 / 2015गृ०आ०.................. /
बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

समाहरणालय, मधेपुरा।
(सामान्य शाखा)
संकलन संख्या 6–23
प्राप्त संख्या 277
दिनांक 13/02/16

वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा (सामान्य).......

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव।

जिला पदाधिकारी,
पटना / नालन्दा / भोजपुर / बक्सर / रोहतास /
कैमूर / गया / नवादा / औरंगाबाद / जहानाबाद / अरवल /
सारण / सीवान / गोपालगंज / मुजफ्फरपुर / पूर्वी चम्पारण /
पश्चिम चम्पारण / वैशाली / सीतामढ़ी / शिवहर / दरभंगा /
समस्तीपुर / मधुबनी / भागलपुर / बांका / मुंगेर / जमुई /
बेगूसराय / लखीसराय / शेखपुरा / खगड़िया / सुपौल /
मधेपुरा / सहरसा / कटिहार / पूर्णियाँ / किशनगंज तथा अररिया।

08 FEB 2016

पटना, दिनांक जनवरी, 2016

विषय :– वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना के मांग सं0–22, मुख्य शीर्ष–2055–पुलिस–110–ग्राम पुलिस– चौकीदार–दफादार स्थापना अंतर्गत विभिन्न विपत्रशीर्षों में आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक–396 / वि0, दिनांक 24.04.2015 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2015 के पारित होने एवं गृह (आरक्षी) विभाग के पत्रांक–179, दिनांक 11.01.2016 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से राशि स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप उक्त मुख्य शीर्ष के अंतर्गत चौकीदार / दफादार स्थापना के विभिन्न विषय शीर्षों में उपबंधित राशि में से संलग्न विवरणी–I के अनुसार कुल ₹ 6,26,78,000 (छह करोड़ छब्बीस लाख अठहत्तर हजार रू0) मात्र का आवंटन दिया जाता है।

2. उपर्युक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में मांग सं0–22 तथा मुख्य शीर्ष–2055–पुलिस, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–110–ग्राम पुलिस, उप शीर्ष–0001–चौकीदार–दफादार स्थापना के विभिन्न विषय शीर्षों एवं विपत्र कोड N2055001100001 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3. उपर्युक्त राशि से बकाये वेतनादि का भुगतान किया जा सकता है। यदि चौकीदार–दफादार के बकाये वेतनादि से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश हो तो उक्त राशि का भुगतान इस आवंटित राशि से किया जाय और तत्पश्चात अतिरिक्त राशि की मांग की जाये।

139
8/2/16

4. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के संकल्प सं0–2561, दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। वित्त विभाग के परिपत्र सं0–5294, दिनांक ..2015 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजनान्तर्गत सभी व्यय के लिए वित्तीय पत्रांक–2561, दिनांक 17.04.1998 की कंडिका 2 में प्रावधानित बंधेज को पूर्णरूपेण शिथिल किया गया है। इसके फलस्वरूप आवंटित राशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

5. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

6. उपर्युक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित विपत्र पर की जाय।

7. उपर्युक्त राशि की निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न किया जाय।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य किया जाय।

9. डी0सी0 विपत्र / उपयोगिता प्रमाण–पत्र तीन माह के अंदर समर्पित किया जाय।

10. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जाय।

अनु0–यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0 / –
(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0–6 / व0गै0यो0–01–32 / 2015गृ0आ0.................पटना, दिनांक जनवरी, 2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी–जिला कोषागार–पटना / नालन्दा / भोजपुर / बक्सर / रोहतास / कैमूर / गया / नवादा / औरंगाबाद / जहानाबाद / अरवल / सारण / सीवान / गोपालगंज / मुजफ्फरपुर / पूर्वी चम्पारण / पश्चिम चम्पारण / वैशाली / सीतामढ़ी / शिवहर / दरभंगा / समस्तीपुर / मधुबनी / भागलपुर / बांका / मुंगेर / जमुई / बेगूसराय / लखीसराय / शेखपुरा / खगड़िया / सुपौल / मधेपुरा / सहरसा / कटिहार / पूर्णियाँ / किशनगंज तथा अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0–6 / व0गै0यो0–01–32 / 2015गृ0आ0......13......पटना, दिनांक 21 जनवरी, 2016

प्रतिलिपि :– प्रमंडलीय आयुक्त, पटना / पूर्णियाँ / भागलपुर / मुंगेर / दरभंगा / मगध प्रमंडल, गया / तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर / सारण प्रमंडल छपरा तथा कोशी प्रमंडल सहरसा / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।